

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)

1st July, 2002/Ashadha 10, 1924 (Saka)

No. 215

Election of two representatives of Delhi Assembly to the Delhi Building and other Construction workers Advisory Committee

Hon'ble Members are informed that as per section 10(b) of the Delhi Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules 2002, two members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi are required to be elected to the Delhi Building and other construction workers Advisory Committee

For this purpose, the following schedule has been fixed:

Last date for filling nomination	Last date for withdrawal	Date of election, if necessary
12.7.2002 from 11.00 AM to 3.00 PM	16.7.2002 up to 3.00 PM	18.7.2002 from 11.00 A.M to 1.30 PM in Committee Room -II Old Sectt. Delhi

S.K. Sharma
Secretary

NOTE:

1. Necessary forms are available with the notice office of the Assembly Secretariat.
2. No nomination form will be entertained after the stipulated date and time.

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग - 2

{विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी}
सोमवार, 01 जुलाई, 2002 /आषाढ़ 10, 1924 {शक}

संख्या : 215

**दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण वर्कर्स सलाहकार समिति में
दिल्ली विधान सभा के दो प्रतिनिधियों का निर्वाचन**

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण वर्कर्स (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) नियम, 2002 की धारा 10 (बी) के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण वर्कर्स सलाहकार समिति में होना है।

इस उद्देश्य से निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :-

नामांकन भरने की अंतिम तिथि	नाम वापस लेने की अंतिम तिथि	चुनाव की तिथि, यदि आवश्यक हुआ तो
12.7.2002 अप. 11 बजे से 3.00 बजे तक	16.7.2002 अप. 3.00 बजे तक	18.7.2002 अप. 11 बजे से 1.30 बजे तक, समिति कक्ष नंबर-2, पुराना सचिवालय दिल्ली।

एस. के. शर्मा
सचिव

टिप्पणी :-

1. आवश्यक प्रपत्र विधान सभा सचिवालय के सूचना कार्यालय में उपलब्ध हैं।
2. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात कोई नामांकन प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।